न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 10/2013
बउनवान

सरकार जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां जिला बारां (राज.) **(सायल)**

बनाम

श्री परमानन्द पुत्र रामरतन जाति–धाकड उम्र 38 साल
नि.–नीमडी पाडा, अन्ता थाना–अन्ता जिला–बारां (राज.) **(गैरसायल)**

अन्तर्गत धारा–3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975
उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. **(सायल)**
2– श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, अभिभाषक **(गैरसायल)**

निर्णय दिनांक– 31.10.2019

1– वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री परमानन्द पुत्र रामरतन जाति–धाकड उम्र 38 साल नि.–नीमडी पाडा, अन्ता थाना–अन्ता के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के तहत प्रेषित किया गया है।

2– प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी, थाना अन्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को रिपोर्ट की है कि थाना, क्षैत्र में गैरसायल श्री परमानन्द पुत्र रामरतन जाति–धाकड उम्र 38 साल नि.–नीमडी पाडा, अन्ता आदतन अपराधी है। जो मौहल्ले में जुआ सट्टा खिलाना व लडाई झगडा कर शांति व्यवस्था प्रभावित करता रहता है एवं समाज में कुरूतिया फैलाता है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ लगातार बढ़ती जा रहीं है। इसके डर के कारण आसपास के मोहल्ले वाले एवं सभ्य तथा गरीब व्यक्ति इसके इसके खिलाफ रिपोर्ट कराने में कतराते है तथा भय खाते है। क्योकि आपराधिक प्रवृति के कारण यह कभी भी किसी के साथ भी कोई गंभीर वारदात कर सकता है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, क्षैत्र में कानून एंव शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अपराधी का स्वतंत्र रहना लोक शांति एंव जनहित में हितकारी प्रतीत नहीं है।

3– गैरसायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के तहत कार्यवाही कर इस जिले की सीमा क्षेत्र से निष्कासित किया जावे। गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी0एस0 नं0	निर्णय
1.	20 / 99	13 RPGO	5 / 21.1.99	सजा दिनांक 27.02.1999
2	250 / 99	13 RPGO	156 / 29.07.99	सजा दिनांक 2.8.99
3	434 / 99	13 RPGO	321 / 15.12.99	सजा दिनांक 4.1.2000
4.	124 / 2000	13 RPGO	76 / 14.4.2000	सजा दिनांक 14.08.2002
5	311 / 2000	13 RPGO	223 / 2000	
6	486 / 2000	13 RPGO	31 / 17.12.2000	सजा दिनांक 18.12.2001
7.	43 / 01	13 RPGO	33 / 14.02.01	सजा दिनांक 3.3.2001
8.	106 / 01	13 RPGO	70 / 22.3.2001	सजा दिनांक 4.3.05
9	127 / 01	13 RPGO	91 / 31.3.01	सजा दिनांक 3.7.02
10	143 / 01	13 RPGO	98 / 16.4.01	सजा दिनांक 19.7.02
11	392 / 02	13 RPGO	292 / 31.12.02	सजा दिनांक 5.2.05
12	17 / 03	13 RPGO	3 / 16.1.03	सजा दिनांक 4.3.05
13	102 / 03	13 RPGO	92 / 24.04.03	सजा दिनांक 25.8.05
14	106 / 11	13 RPGO	5 / 30.4.11	
15	109 / 11	13 RPGO	57 / 30.04.11	
16	156 / 11	13 RPGO	85 / 17.6.11	सजा दिनांक 19.11.11
17	184 / 11	13 RPGO	107 / 6.7.11	
18	208 / 11	13 RPGO	130 / 30.7.11	सजा दिनांक 9.12.11
19	268 / 11	13 RPGO	167 / 22.9.11	
20	365 / 11	13 RPGO	237 / 24.11.11	सजा दिनांक 30.11.11
21	404 / 11	13 RPGO	279 / 19.12.11	
22	26 / 12	13 RPGO	7 / 22.12.11	
23	79 / 12	13 RPGO	2 / 29.2.12	
24	89 / 12	13 RPGO	48 / 29.2.12	
25	239 / 12	13 RPGO	154 / 28.6.12	

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल श्री परमानन्द पुत्र रामरतन जाति–धाकड उम्र 38 साल नि.–नीमडी पाडा, अन्ता थाना–अन्ता जिला पुलिस अधीक्षक बारां ने पेश कर उक्त गैरसायल आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया।

4– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को प्रपत्र–1 में नोटिस जारी कर, तलब किया गया।

5– गैरसायल दिनांक 12.03.2013 को जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा 25. 06.2013 को जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में कथन किया है कि उसके दिया गया नोटिस सर्वथा निराधार विधि न्याय प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत है। अप्रार्थी धारा 2(बी) के तहत गुण्डा की परिभाषा में नहीं आता है। पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। नोटिस में जिन मुकदमो का विवरण है वह अपूर्ण है। जबकि नियमों के अनुसार 6 माह की अवधि में तीन प्रकरण वर्णित प्रकृति के तय होना आवश्यक है। अप्रार्थी के विरूद्व अपूर्ण जॉच कर, विधि

विरूद्व तरीके से कार्यवाहीं प्रस्तुत की गयी है। अप्रार्थी विकलांग एवं हदय रोग से पीडित है। अतः उसके खिलाफ प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

6— गैरसायल का जवाब इस्तगासा प्राप्त होने पर प्रकरण में साक्ष्य आहूत की गयी।

7— प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य शहादत पी.डब्ल्यू. 1 श्री मोहम्मद अहमद रिटा. ए.एस.आई. कस्बाथाना 522 थाना कोतवाली बारां, पी.डब्ल्यू. 2 श्री मथुरालाल है.कानि. थाना छीपाबडौद ली गयी। गैरसायल की ओर से साक्ष्य शहादत पेश नहीं की। तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष(ए.पी.पी.) व अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी गयी।

8— बहस के दौरान विद्वान ए.पी.पी. अभियोजन पक्ष सरकार का तर्क है कि गैरसायल के विरूद्व 26 प्रकरण, ताश खेलने व खिलाने संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, इनके अलावा इससे पूर्व भी कई प्रकरण पंजीबद्व हुई है सभी प्रकरणों में गैरसायल दोष सिद्व हुआ है। गैरसायल लगातार आदतन आपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो साक्ष्य सरकार पी0डब्ल्यू.1 व पी0डब्ल्यू.2 की शहादत से स्पष्ट हो चुका है। गैरसायल के आचरण से समाज मे भय व आंतक व्याप्त है, इसके खिलाफ कोई भी शिकायत करने से कतराते है। गैरसायल के विरूद्व निर्णित प्रकरणों में गैरसायल दोषसिद्व होने तथा विचाराधीन प्रकरणों से यह साबित होता है कि गैरसायल की आपराधिक कार्य व गतिविधियों में पूर्ण संलिप्तता है। इसके भय व इसकी गतिविधियों से कानून एंव शांति व्यवस्था को लगातार खतरा बना रहता है। गैरसायल गुण्डा की तारीफ में आता है। अतः इस्तगासा स्वीकार किया जावे।

9— इसके विपरीत गैरसायल के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि गैरसायल के विरूद्व कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नही है, ना ही कोई लडाई झगडे का कोई केस दर्ज हुआ है। इस्तगासे में उसके विरूद्व सभी केस 13 आरपीजीओ के दर्ज है। यह केस झूठे तथा गलत तथ्यों पर आधारित थाना—अन्ता द्वारा जोर व दबाव में तैयार किये गये है। वह शातिंप्रिय सामाजिक प्राणी है। क्षैत्र मे कभी किसी व्यक्ति से लडाई झगडा नही किया है, ना ही उसके विरूद्व किसी थाने मे लगाई झगडा व शांति भंग संबंधी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। समाज मे उसके व्यवहार से किसी भी व्यक्ति को कोई खतरा नही है। पुलिस द्वारा जानबूझ कर, अपने लक्ष्य अर्जित करने के उद्धेश्य से गुण्डा एक्ट का केस बनाया गया है। फौजदारी व गम्भीर प्रवृति का कोई केस दर्ज नही है।

अप्रार्थी पर जिन प्रकरणों के आधार पर गुण्डा एक्ट का केस बनाया गया है। वह गुण्डा घोषित करने की श्रेणी में नहीं आते है। गुण्डा एक्ट में गुण्डा घोषित करने हेतु 6 माह में तीन प्रकरण दर्ज होना आवश्यक है। जबकि अप्रार्थी के विरूद्व थाना अन्ता की रिपोर्ट अनुसार 12.2.2017 के पश्चात् कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है अप्रार्थी वर्तमान में सचरित्र है इसी स्थिति में अप्रार्थी को गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जावें।

10— हमने सहायक लोक अभियोजन व विद्वान अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं थाना अन्ता से वर्तमान में गैरसायल के

विरूद्व दर्ज प्रकरण एवं चाल चलन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की। इससे पाया जाता है कि गैरसायल के खिलाफ न्यायालयों में लगातार मुकदमें पंजीबद्व हुये है, जिसमें गैरसायल दोषसिद्व होने से दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरूद्व लेखबद्व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य ने यह प्रमाणित किया है कि गैरसायल सट्टे लगाने, ताश खेलने व खिलाने में मशगूल रहा है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल आदतन अपराध करने का आदी है। इससे संबंधित थाना अन्ता में भय व आतंक व्याप्त है।

11— उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों व बयानों के अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल के विरूद्व पर्याप्त आपराधिक रिकार्ड है, जिसमे वह दोषसिद्व भी हुआ है। गैरसायल की गतिविधियॉ एंव प्रवृत्तियां अनैतिक एंव दुष्प्रेरित है जो थाना क्षैत्र थाना—अन्ता एंव जिला—बारां के लिए घातक एवम् खतरनाक है तथा जन साधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्ररित होने वाली है। इस प्रकार गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 की धारा, 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व होता है क्योंकि धारा, 2 (आ)(5) के प्रावधान के अनुसार भी वह दोषी ठहराया हुआ है।

12— गैरसायल श्री परमानन्द पुत्र रामरतन जाति—धाकड उम्र 38 साल नि. —नीमडी पाडा, अन्ता थाना—अन्ता जिला—बारां (राज.) को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, की धारा, 2(बी) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा धारा, 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के थाना—अन्ता क्षेत्र से थाना—सीसवाली क्षेत्र के लिये 3 माह (तीन माह) के लिए निष्कासित का आदेश देता हूॅ। गैरसायल को निम्न निर्देश/आक्षेप/निषेध/ प्रतिबंध/ शर्तो के साथ निष्कासित किया जाता है—

1. गैरसायल उक्त तीन माह की अवधि में थाना—सीसवाली क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा व ना ही थाना क्षेत्र अन्ता में प्रवेश करेगा।
2. गैर सायल संबंधित थानाधिकारी के समक्ष सप्ताह में दो बार सोमवार व शनिवार अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।
3. गैर सायल के लिए किसी मोटी या पैनी धार वाले शस्त्र या अन्नेय शस्त्र या कोई मादक शराब,अफीम,गांजा,चरस या भांग या कोई विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ या कातिल पानी की बोतल रखना या उपयोग में लाना प्रतिबंध या प्रतिबन्धित रहेगा।
4. गैर सायल हर पन्द्रह दिनों के अन्तराल पर इस न्यायालय को भी अपने निवास व गतिविधियों की सूचना देगा।
5. गैर सायल उक्त आदेश की अवधि में नेक चलन रहेगा। ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सद्चरित्र रहेगा।
6. गैर सायल उक्त आदेश की अवधि में किसी भी तरह का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 18.11.2019 से प्रभावी होगा।

तहरीर जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी, थाना—अन्ता/थानाधिकारी,थाना—सीसवाली को दी जावे। थानाधिकारी, अन्ता को तहरीर में

लिखा जावे कि गैरसायल को प्रभावी आदेश दिनांक 18.11.2019 से निष्कासित अवधि तीन माह के लिए संबंधित थानाधिकारी थाना–सीसवाली के सुपुर्द करे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला मजिस्ट्रेट, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.11.11 09:47:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: